


:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत कार किया जाकर ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित प्लॉट नम्बर 1496 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1497 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल कित्ता 2 रकबा 2 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 250/-रुपये (दो सौ पचास रुपये) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।


(टीना डाबी)

आई.ए.एस.

उपसुपरिण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया


उपसुपरिण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा